अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मसूदा
श्री रघुनाथ बनाम श्री मोहन व अन्य
किस्म मुकदमा 212 आर0टी0ए0 नंबर 43 सन्..2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/1/19	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 उपस्थित नही होने पर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 4 से 6 की और से पैराकार उपस्थित। वकील प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र 212 राज0 काश्त0 अधि0 पर बहस सुनी गई। प्रार्थी ने संक्षिप्त में अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, कि मौजा ग्राम शिखरानी पटवार हल्का शिखरानी तहसील बिजयनगर की भूमिया पूर्व में साल 1982 के अन्दर तहसील ब्यावर का हिस्सा रही है, और साल 1982 के पश्चात ही तहसील मसूदा का गठन हुआ है। दिनांक 6.11.1982 को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की माता श्रीमति पानीदेवी बैवा श्री बींजा ने प्रतिफल की रांशि प्राप्त करते हुये प्रार्थी से व रामचन्द्र पुत्र धन्ना, जाति भांबी निवासी शिखरानी से प्राप्त कर संयुक्त रजिस्ट्री प्रार्थी व रामचन्द्र के नाम से खसरा नंबर 4411 के सात बीघा भूमि का पंजीबद्ध बेचाननामा करवाया जिसमें बेचानकर्ता ने 1/2 हिस्सा 7 बीघा में से प्रार्थी को बेचना स्वीकार करने के साथ साथ 1/2 हिस्सा रामचन्द्र को बेचान किये जाने बाबत स्वीकार किया है। जिसके पूरब में आराजी लक्ष्मण जी पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में पंचायत की भूमि दक्षिण मे आराजी मूला है। तथा प्रार्थी के हिस्से की साढे तीन बीघा भूमि पश्चिम व उत्तरी दिशा की भूमि है। हाल खसरा नंबर 4411 का साबिक खसरा नंबर 472 है तथा साबिक खसरा नंबर 472 का रकबा 195 बीघा 5 बिस्वा है, साथ साथ हाल खसरा नंबर 4411 का रकबा 118 बीघा 1 बिस्वा दर्शाया गया है, जो कि मिलान क्षैत्रफल से जाहिर है। बरोज खरीद दिनांक 6.11.1982 से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर काबिज चला आ रहा है, जिसकी अवधि करीब 35 साल की हो चुकी है और बेरोकटोक निर्विवाद रूप से काबिज है, तथा बेचानकर्ता के पक्ष में नियमन एंव आवटन का दस्तावेज होने से ही प्रार्थी के हक में बेचान का पंजीयन किया गया है। जिसमें बेचानकर्ता ने दिनांक 16.11.1975 को उनके हक में भूमि का आवंटन होने बाबत कथन अंकित किया है, जो कि उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा आवंटन जारी करना बेचाननामा मे दर्शाया गया है, क्योकि साल 1975 में मौजा शिखरानी पटवार हल्का शिवरानी उपखण्ड ब्यावर का ही एक पटवारघर के रूप में	

हिस्सा माना गया था। प्रार्थी के द्वारा बरोज खरीद के पश्चात समय समय पर अपनी कडी मेहनत का धन खर्च करते हुये करीबन दो लाख रूपया खर्च कर चुका है। प्रार्थी द्वारा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का नामान्तकरण दर्ज करते हुये राजस्व रेकार्ड में खरीदशुदा भूमि का प्रार्थी की खातेदारी के रूप में दर्शाये जाने का आदेश प्रदान करे जबकि इसी भूमि पर अन्य दीगर व्यक्तियो को भूमि का आंवटन एंव नियमन हुआ उसका नामान्तकरण होकर जमाबंदी में नाम दर्ज हुआ है जो वर्किंग

(पर्वतसिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मालपुरा (अजमेर) राज.

जमाबंदी से साबित है। प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण को समझाया गया कि आपने हमारे हक में रजिस्ट्री करवाई है, किन्तु आपके नाम ये भूमि थी इसके पुख्ता सबूत में तहसील बिजयनगर व मसूदा के समक्ष प्रस्तुत होकर रेकार्ड की जांच पडताल कर हमें नकल देवे जिस अप्रार्थीगण ने सहयोग की भावना को ध्यान में रखते हुये स्पष्ट कह दिया कि हमे कोर्ट बुलायेगी तो हम निश्चित तौर से अदालत में उपस्थित होकर आपक हक में जवाब देने के साथ साथ बयान देंगे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जावे कि प्रार्थी को विवादित भूमि खसरा नंबर 4411 के साढे तीन बीघा भमि से बेदखल नही करे तथा नामान्तकरण आवंटन एंव नियमन संबंधी कार्यवाही नही करे।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी द्वारा बेचाननामा दिनांक 6.11.1982 के द्वारा पानीदेवी बैवा बींजा, मोहन, कैलाश, कुमार संतोष जरिये नाबालिग वली श्रीमति पानीदेवी द्वारा रघुनाथ पुत्र छोगा व रामचन्द्र पुत्र धन्ना को बेचान किया जाना पाया गया। वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 के अनुसार खसरा नंबर 4411 रकबा 118 बीघा 1 बिस्वा में जरिये नामान्तकरण संख्या उजरदारी आदेश क्रमांक 84/225 दिनांक 2.11.1984 के अनुसार खसरा नंबर 4411 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा देवी पुत्र भागू भील के नाम स्वीकार दर्ज होना पाया गया। जबकि अप्रार्थीगण अथवा उनके पूर्वज किस प्रकार से विवादित भूमि पर खातेदार हुये उसके विषय में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना नही पाया गया जबकि अप्रार्थीगण दिनांक 6.11.1982 के समय विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार थे या नही उस समय का राजस्व रेकार्ड भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाना नही पाया गया। जबकि प्रार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा होने बाबत कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना नही पाया जाता है। जबकि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुतीकरण के समय विवादित भूमि की क्या स्थिति राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया जाना नही पाया जाता है, ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार प्रार्थी के हक में मामला प्रथम दृष्टिया केस व सहुलियत का संन्तुलन बनना नहीं पाया जाता है। जहां पर प्रार्थी द्वारा प्रथम दृष्टिया केस साबित करने में असफल होने पर प्रार्थी को किसी भी प्रकार की कोई अपूर्णीय क्षति होना नही पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो।

अतः आदेश आज दिनांक 18/1/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पर्वतसिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज.

(पर्वतसिंह चूण्डावत)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.18 17:18:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: